हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.05.2017	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र सणपा मानजी मे पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं विप्रार्थी स.1 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी स.4 उपस्थित। पक्षकारान के लोक अदालत नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई विप्रार्थी स.2 व 3 बावजुद सुचना अनुपस्थित है। वकील विप्रार्थी जबाव पेश नही करना चाहते है। जो विप्रार्थी जबाव बन्द किया जाता है। और प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी जानी है। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र–पुनःमौका रिपोर्ट बाबत पेश की गई। उभयपक्ष अधिवक्ताओ की प्रार्थना पत्र पुनःमौका रिपोर्ट एवं मूल आवेदन पर अन्तिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया और पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तथा विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई थी। और नायब तहसीलदार द्वारा मौका पर जाकर दोनो पक्षो के रूबरू मौका मुआयना करते हुए रिपोर्ट प्रेषित की है। से रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज की जाती है। एवं हस्तगत आवेदन का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है। नायब तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम–त्रिशुलिया का खसरा न.132/16 रकबा 160–06 किस्म बा.सो. खातेदार धनाराम,मांगाराम पि. पदमाराम,रामाराम,अणदाराम पि.कुम्भाराम कौम जाट सा.देह की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा न.134/16 रकबा 49–13 किस्म बा.सो. श्री भूराराम पुत्र वगताराम कौम जाट देह के खतेदारी में	

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व रेकर्ड में दर्ज है,यह है कि खसरा न. 132/16 व 134/16 का आपसी सहमति से बंटवाड़ा वर्ष 1978 में होना जाहिर हुआ और खेत का आपसी सहमति से कर खसरा न. 132/16 रकबा 160–06 बीघा भूमि वर्तमान में भी धनाराम मांगाराम पि. पदमाराम,रामारा,अणदाराम पि. कुम्भाराम कौम जाट के खाते में दर्ज हुई। तथा खसरा न. 134/16 रकबा 49–13 बीघा भूमि भूराराम पुत्र वगताराम कौम जाट के खाते में बंटवाड़े से दर्ज हुई जिका विभाजन मूल खसरा न. 16 से हुआ। यह है,कि वक्त बंटवाड़ा वर्ष 1978 से ही मौका बंटवाडा अनुसार ही आपसी बंटवाड़ा में खेत का विभाजन कर आपसी सहमति से ही नक्शा ट्रेस में तरमीम दर्ज कर धनाराम मांगराम वगैरह के हिस्से में आयी भूमि के खेत को खसरा न.132/16 नये खसरा नम्बर एवं भूराराम पुत्र वगताराम के हिस्से में आई भूमि के नये खसरा न. 134/16 दर्ज किये जाकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया गया तथा नक्शा की तरम्मीम भी आपसी सहमति से करवाई गई, जो वक्त मौका निरिक्षण के भी नक्शे की तरम्मीम अनुसार ही मौके की स्थिति मौके पर मौजुद पाई गई। जिसकी फोटोग्राफी भी ली गई। अर्थात् मौका स्थिति की पुष्टि नक्शे में दर्ज की गई तरमीम से होती है। जाहिर है कि वर्ष 1978 में हुए बंटवाड़ा की मौका स्थिति नक्शें में हुई तरमीम से कायम पाई गयी है। जिसकों बंटवाडे के 40 वर्ष बाद बदलना उचित प्रतीत नही होता है। यानि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा–काश्त पर पुरानी माठ भी नक्शा ट्रेस की तरमीम अनुसार आज भी मौके पर कायम है। यह है कि बंटवाड़े की लिखावट में भूल हो सकती है पर मौके पर आपसी सेड़ो पर माठ कायम कर उसी के मुताबिक तरमीम करवाना और उसी अनुरूप विगत 40 वर्ष तक तरमीम अनुसार मौके पर कब्जा होना ही आपसी बंटवाड़ा की सहमति होने की पुष्टि है। जिसको

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
40 वर्ष बाद बदलना उचित प्रतीत नही होता हैं। यदि इस तरमीम को बदला गया तो प्रार्थीगण के भागीदार की रहवासीय ढाणी का नुकसान भी संभव है। मौका जांच का सारांश यह है,कि वर्ष 1978 में मूल खसरा न.16 से प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी के मध्य संयुक्त खातेदारी से बंटवाड़ा हुआ। जिसमें प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा न. 132/16 रकबा 160–06 बा.सो. एवं विप्रार्थी के खाते की भूमि खसरा न. 134/16 रकबा 49–13 बा.सो. की स्थिति मौके पर नक्शे में दर्ज तरमीम के मुताबिक माठे कायम पाई गयी है जिसमें किसी भी प्रकार की तरमीम दुरूस्ती की कोई गुजांईश प्रतीत नहीं होती है। तरमीम के अनुसार ही दोनों पक्षकारों के खेतों की माठे कायम पाई गयी है। उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है,कि विवादित भूमि की तरमीम मौका स्थिति अनुसार ही हो रखी है। जिसमे किसी प्रकार का फेरबदल किया जाना न्यायोचित नही है। एवं मजमे आम मे भी इस सबंध मे पुछताछ करने पर सामने आया कि विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे तरमीम के अनुसार ही पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से सारहीन तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया गया है। जो खारिज योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। अजमे मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। 12/5/17 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

Scanned by CamScanner